



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-182

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 274978 दिनांक 30/12/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Pankaj Sharma S/o TEKNATH SHARMA एवं Sakshi Nagar W/o PANKAJ SHARMA	चन्द्रकांता लोढा पत्नी प्रमोद कुमार लोढा	38	88.45 SQ. METER	Private	ARIHANT GREENS Sector/Block-	Name Transfer	निजी खातेदारी की योजना अरिहंत ग्रीन्स के भूखण्ड संख्या 38 क्षेत्रफल 88.45 व.मी. का फ्रीहोल्ड पट्टा विलेख दिनांक 27.04.2022 को चन्द्रकांता लोढा पत्नी प्रमोद कुमार लोढा के नाम से जारी किया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.04.2023 को चन्द्रकांता लोढा पत्नी प्रमोद कुमार लोढा द्वारा वी. क्यूब वैनचर्स प्रा.लि. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पुखराज जैन पुत्र केवल चन्द जैन को कर दिया गया। तत्पश्चात् उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्र दिनांक
131.07.2024 को
वी. क्यूब वैनचर्स
प्रा.लि. अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता
पुखराज जैन पुत्र
केवल चन्द जैन
द्वारा पंकज शर्मा
पुत्र टेकनाथ शर्मा
एवं साक्षी नागर
पत्नी पंकज शर्मा
को कर दिया
गया। आवेदकगण
द्वारा नाम
हस्तांतरण हेतु
आवेदन किया
गया है। उक्त
भूखण्ड के मूल
दस्तावेज बैंक में
रहन है।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Pankaj Sharma S/o TEKNATH SHARMA एवं Sakshi Nagar W/o PANKAJ SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतिपाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें |